

01/09/2026

दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 642

दिनांक:- 01.09.2026

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर श्री विककी सुपुत्र श्री रामवीर सिंह, सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) [Sh. Vikkee S/o Sh. Ramveer Singh, A.D (Min.)] [UID No:- 0402103] [वरियता सं.- 1090], जिनकी तैनाती वर्तमान में एस.ए. एम.जी.आर (SA & GR) विभाग में हैं, को उप निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 (रु.67,700 - 2,08,700) में (जो कि छठे वेतन आयोग में 15,600-39,100/-रु. के पे बैंड में 6600/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं।

2. यदि उपरोक्त अधिकारी को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 15,600-39,100/- रु. के वेतनमान में 6600/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के आधार पर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. यह पदोन्नति प्रोविजनल है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अवमानना याचिका संख्या 314/2016 और एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 4831/2012 के परिणाम के अधीन हैं।

4. यह पदोन्नति 2 वर्षों की परीवीक्षा अवधि पर होगी। परीवीक्षा से संबंधित सभी नियम और शर्तें लागू होंगी।

5. उप निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर श्री विककी सुपुत्र श्री रामवीर सिंह, की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें कार्मिक विभाग में तैनात किया है।

6. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रतिलिपि निदेशक (कार्मिक)-I को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। उनकी पदोन्नति 01.09.2026 अथवा उनके नए पद पर जोड़निंग (Joining) होने की तिथि से प्रभावी होगी।

(निधि कनोजिया)

उप निदेशक (गोपनीय)

सं.एफ.10(59)2025/सी.सी./ 1317

प्रतिलिपि प्रेषित:-

दिनांक:- 01.09.2026

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. अतिरिक्त आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
6. निदेशक (कार्मिक)-I / सतर्कता / दि.वि.प्रा.।
7. उप निदेशक (कार्मिक)-I / सतर्कता (प्रशा.)/ आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा.।
8. उप निदेशक (प्रणाली)/ (पी.एम.आई.एस.), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us->Organisation->Personnel->Promotions)
9. सहायक निदेशक (कार्मिक)-I / पी.एम.आई.एस. / गोपनीय कक्ष -II, दि.वि.प्रा.।
10. लेखाधिकारी (संस्था.) राजपत्रित, दि.वि.प्रा.।
11. उक्त उल्लिखित अधिकारी।
12. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।

विनाय
01/09/26
(विकास)

सहायक निदेशक (गोपनीय)

Vikkee S/o
2/5/26

APD

21/9/26
SN. Dev Singh